

आदेश

उपायुक्त, कैथल के पत्र क्रमांक 1763/पंचायत दिनांक 19.03.2025 द्वारा की गई सिफारिश के दृष्टिगत ग्रामवासियों के जनहित एवं रुके हुए विकास कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए हरियाणा पंचायती राज, 1994, की धारा 49 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सीवन (जिला कैथल) को ग्राम पंचायत फिरोजपुर का आगामी आदेशों तक प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
01.07.2025

डा0 साकेत कुमार, आई0ए0एस0
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकारी,
विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई0सी0ए02-2025 / 30677-82

दिनांक : 2/7/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, कैथल के सिफारिश पत्र क्रमांक 1763/पंचायत दिनांक 19.03.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित करते हुए लिखा जाता है कि जिन पंचों द्वारा गांव के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है उन पंचों के विरुद्ध विधिवत रूप में बन्ती कार्यवाही अमल में लाई जाए।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
3. मुख्य कार्याकारी अधिकारी, जिला परिषद, कैथल।
4. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
- ✓ 5. कार्यकारी अभियंता(आई0टी0) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सीवन (जिला कैथल)।

Sh. Mohit/Sh. Gaurind

Signature

सहायक निदेशक

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।